भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3084
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता

3084. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हमारे देश को पंचाट और मध्यस्थता के वैश्विक केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा अगले पांच वर्षों की रूपरेखा क्या है ;

(ख) कौशल और क्षमता निर्माण में वृद्धि करने सहित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता मामलों को आकर्षित करने के लिए संस्थागत ढांचे, अवसंरचना और कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए पंचाट और मध्यस्थता के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुकर बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ;

(घ) क्या सरकार भारत में विवादों को पंचाट और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए विदेशी निवेशकों और व्यवसायों के लिए किन्हीं सुधारों अथवा प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के लिए नियोजित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और पंचाट और मध्यस्थता गंतव्य के रूप में हमारे देश के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहलें की हैं । तथा वह इन तंत्रों को मजबूत करने लिए नीतिगत तथा विधायी मध्यक्षेप करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई प्रमुख पहलों, कदमों तथा उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित
हैं :

(i) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, 2019 और 2020 में उत्तरोत्तर संशोधित किया गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाही का समय पर निर्णय, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और मध्यस्थता पंचाटों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है । संशोधनों का और उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं का समाधान करना है, जिससे सांस्थानिक माध्यस्थम् द्वारा संचालित घरेलू और विदेशी माध्यस्थम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित और फल-फूल सकें ।

(ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित

करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । केन्द्र अपनी स्थापना के समय से ही माध्यध्यम के द्वारा वाणिज्यिक विवादों के लिए एक उदासीन विवाद समाधान प्लेटफार्म का उपबंध करके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पक्षकारों मध्य विश्वास प्रेरित करने के उद्देश्य से है । केन्द्र ने प्रभावी और समयबद्ध माध्यस्थम् प्रक्रिया पर जोर देकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थमों के संचालन को सुकर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र (माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन स्थापित माध्यस्थम चैम्बर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनो माध्यस्थमों के लिए प्रतिष्ठित मध्यस्थों को निरंतर पैनलबद्ध कर रहा है। केन्द्र देश में मॉडल माध्यस्थम संस्था बनने पर ध्यान दे रहा है, जिससे माध्यस्थम के लिए सांस्थानिक ढांचे की गुणवता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(iii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में पूर्व-संस्था मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद किसी भी तत्काल अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं करता है, पक्षों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले पीआईएमएस के अनिवार्य उपाय को समाप्त करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करना है ।

(iv) मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता, जहां देश में एक मजबूत और प्रभावकारी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है ।

(v) भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र द्वारा सम्मेलन, सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करके, एडीआर के क्षेत्र में वृत्तिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुकर बनाकर माध्यस्थम और मध्यकता समेत निरंतर हितधारकों के लिए किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृत्तिकों के साथ-साथ पब्लिक और प्राइवेट इकाईयां भी है ।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 तथा मध्यकता अधिनियम, 2023, अन्य बातों के साथ साथ, क्रमशः अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता का उपबंध करते है ।

(घ) से (ङ) : माध्यस्थम और मध्यकता समेत बैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में संबंधित सुधारों के साथ विधायी और नीतिगत मध्यक्षेप सरकार द्वारा हितधारकों की बदलती हुई अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए की जाने वाली निरंतर प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त मध्यक्षेप ने समय-समय पर एडीआर परिदृश्य को सुधारने और मजबूत करने, कारबार करने की सुगमता का समर्थन करने तथा आर्थिक वृद्धि के आकर्षक गंतव्य के रूप में देश को देखना समर्थ बनाने के लिए योगदान किया है

****